






लय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

10 नं०:- 18 / 2021

तारीखरजः- 21-1-21

उनवान:- जगनलाल बनाम मिश्रया वगै०

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा 188 आर.टी.एक्ट

नांक	फर्द अहकाम	
1	<p>वादी की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा प्रस्तुत करने के समय ही प्रतिवादी न० 1 मिश्रया पुत्र रामधन मीना की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने केवियट पेश कर उपस्थिति दर्ज कराई है। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 28.01.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       (दुर्गा प्रसाद मीना)                      उप जिला कलक्टर                      टोडाभीम जिला करौली                 </p>	<p style="text-align: right;">308-36 21-1-21</p>
21	<p>वादी वकील उप०। प्रतिवादी न० 1 की ओर से श्री सुनील कुमार जिंदल Adv. ने बकालत नामा पेश किया। प्रतिवादी न० 2, 5, 6, 9, 14 स्वयं उपस्थित शेष प्रतिवादीगण बाकालत सूचना उपस्थित नहीं। उनके खिलाफ एड पश्चात कार्यवाही की जाती है। बकालत नामा एवं जबाब पेश करने दिनांक 10.2.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	<p>                     दामोदर शर्मा ⑨                      जितेंद्र शर्मा ⑩                      सुनील शर्मा ⑪                      हरिहर ⑫                      दुर्गा प्रसाद ⑬                      अनुज कुमार ⑭                 </p>
10.2.21	<p>वकील उप०। उप०। बकालत नामा व जबाब दावा पेश करने दिनांक 23.2.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	
21	<p>वकील उप०। प्रतिवादी नं. 27, 20 का बकालत नामा व जबाब पेश किया। जबाब की बकालत वादी वकील को दिलाई। प्रतिवादी नं. 1 व 24 का जबाब पेश करने दिनांक 15.3.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	

लोकिय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-करौली

फर्द अहकाम

उपस्थित  
मप  
उत्ते  
सी  
म

2-6 वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित  
पीठासीन अधिकारी...  
पत्रावली गतानुसार दिनांक...3.3.23  
को पेश हो।

3-8-23 वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित  
पीठासीन अधिकारी...  
पत्रावली गतानुसार दिनांक...13.8.23  
को पेश हो।

3-9-23 वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित  
पीठासीन अधिकारी...  
पत्रावली गतानुसार दिनांक...23.10.23  
को पेश हो।

23-10-23 पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से काय स्थगित  
रखा गया है। पीठराज अधिकारी...  
दिनांक 22.12.23 को पेश हो।

22-23 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील व वादी कोई  
उपस्थित नहीं हुआ। बार - बार आवाज दिलाई  
गई। इसके बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ।  
इसलिए पत्रावली अग्रम पैरवी व अग्रम छंजिरी में  
स्वारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुभार होकर  
नम्बर से कम होकर दखिल दफ्तर हो।

(S)